न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 330/2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गुड्डी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. मीरा पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. महेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्र पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 का पिता है व प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के अलग से भूमि दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बुआ है तथा वादी संख्या 1 की बहिन है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/3 हिस्वा भूमि पर वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3 काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 का पिता है व प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के अलग से भूमि दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बुआ है तथा वादी संख्या 1 की बहिन है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/[illegible] भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/3 [illegible] 3 काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 का पिता है व प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के अलग से भूमि दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 ता 2 की बुआ है तथा वादी संख्या 1 की बहिन है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/3 हिस्वा भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यथावत काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gahlawat
Date: 2024.05.22 19:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 330/2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गुड्डी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. मीरा पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. महेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सुमन पुत्र पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक – 16/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 83/84 के खसरा नं. 438 की कुल तादादी 7.9670 है0 भूमि व रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 82/31 के खसरा नं. 71/1 की कुल तादादी 3.2370 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:21 IST
Reason: SelfAttested

पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर